(37) (57)

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

सेवा में

प्रबन्धक,
सिटी कानवेन्ट स्कूल
गांधी गली अतरौली (अलीगढ़)

पत्रांक शि0स0/मान्यता/ 3797 /97-98 दिनांक 27-3-99

विषय:- प्राइमरी स्कूल की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान करना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में मान्यता समिति के प्रस्ताव संख्या | दिनांक 1699 में लिए गए निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को प्राइमरी स्कूल के रूप में कक्षा 1 से 5 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है । प्रतिबन्ध निम्नलिखित हैं । सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक मान्यता/20813- 888/ 89-90 दिनांक 2 मार्च 90 के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में मान्यता पत्र निर्गत की तिथि के बाद पड़ने वाली एक जुलाई से प्रभावित होगी। शासनादेश संख्या /230/ 15-6-96-18 एस(7) 89 दिनांक 18-1-96 के अनुसार यह अस्थायी मान्यता तीन वर्ष के लिए अर्थात 1 जुलाई 1999 से 30-6-2002 तक के लिए प्रदान की जाती है ।

प्रतिबन्ध

1- सोसाइटी के पंजीकरण का नवीनीकरण उसकी अवधि समाप्त होने के पूर्व कराये।
2- उपयुक्त प्रार्थनास्थल एवं खेल के मैदान की व्यवस्था तत्काल की जाए।
3- प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।
4- विभागीय नियमों निर्देशों का पालन किया जाए तथा राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाई जाएं ।
5- विभागीय निरीक्षण अधिकारियों को विद्यालय के निरीक्षण अभिलेखों के परीक्षण में अपेक्षित सहयोग दिया जाए।

उक्त अवधि में प्रतिबन्धों की पूर्ति कर स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करें । तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त आवेदन करने पर केवल दो वर्षों के लिए अस्थायी मान्यता का पुनः नवीनीकरण किया जा सकेगा ।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

MANAGER
CITY CONVENT SCHOOL
ATRAULI (ALIGARH)

City Convent School
Principal
Atrauli (Aligarh)